राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 25/2021

शारदा देवी –अपीलार्थी

बनाम

महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय, जयपुर, राजस्थान एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 23.11.2023

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

पत्रावली पेश हुई।
अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री सी पी त्रिवेदी अनुपस्थित।
राजकीय अधिवक्ता श्री राजेन्द्र दाधिच उपस्थित।

प्रस्तुत अपील द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 02.11.2020 को चुनौती दी गई, जिसमें अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 19.10.2020 से प्रारम्भ हुई आरमोरर बेसिक कोर्स के लिए मनोनीत किए जाने के पश्चात् अपीलार्थी की सेवा 5 वर्ष से अधिक होने के कारण उन्हें इस प्रशिक्षण से पृथक् रखे जाने के संबंध में जारी किया गया (अनुलग्नक–3)। उक्त अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अंतरिम स्थगन आदेश आदेश दिनांक 10.02.2021 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2020 की क्रियान्विति अपीलार्थी के संबंध में अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रखे जाने का आदेश दिया गया।

पत्रावली में प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी नियमानुसार उक्त प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं था इसलिये उसे प्रशिक्षण से पृथक् रखा गया था। अतः प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।

आज उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय अधिकरण के अंतरिम स्थगन आदेश की पालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को आरमोरर बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण पूर्ण कराया जा चुका है। जिसके संबंध में उनके द्वारा दौराने बहस दस्तावेज प्रस्तुत किए जिसे

पत्रावली पर रखा जाए। उपलब्ध दस्तावेज प्रधानाचार्य राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर के आदेश दिनांक 31.05.2023 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा आरमेरर बेसिक कोर्स सम्पन्न करने पर उन्हें रवानगी की गई। चुंकि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आरमोरर बेसिक कोर्स पूर्ण किया जा चुका है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 02.11.2020 (अनुलग्नक–3) का अब कोई प्रभाव नहीं रह गया है। लिहाजा, यह अपील सारहीन होने के कारण निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य